

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 15/2022 (GCMS 2022/15)	दायर दिनांक 17.01.2022	निर्णय दिनांक 13.04.2022
--	---------------------------	-----------------------------

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

श्री ताराचन्द पुत्र श्री वासुमल फुलवानी (विकेता/मालिक) मैसर्स
अजमेर मिष्ठान भण्डार आरएपीपी बस स्टेण्ड के पास, रावतभाटा,
जिला चित्तौड़गढ़

अप्रार्थी

--: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट
2006 नियम 2011 ::-

--: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश टिकर दिनांक 11.08.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 502 दिनांक 13.01.2019 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके



कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.08.2019 को समय 04.00 पी.एम. पर मैसर्स अजमेर मिष्ठान भण्डार, रावतभाटा पर पहुंचे। वहां पर श्री ताराचन्द फुलवानी (विक्रेता/मालिक) उपस्थित था। मौके पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में एक फ्रीज में प्लास्टिक की थैली में खाद्य पदार्थ मावा लगभग 08 किलोग्राम रखा था उसमें मिलावट का शक होने पर 1 किलो मावा (Loose) जाँच हेतु खरीदा तत्पश्चात् नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना फार्म नं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ मावा (Loose) 01 किलो वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर राशि 170/- रुपये नकद चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मावा (Loose) को 04 नमूना बोतलों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक नमूना बोतल को एयर टाईट बंद कर 04 नमूना भाग तैयार किये तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक-एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहीत अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक AM-1058 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में रोशनलाल, सहायक कर्मचारी द्वारा खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग



मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के डी. ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/3983 दिनांक 15.11.2019 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट नम्बर एल.एस.392/एक्ट/2019/412 दिनांक 25.9.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। पत्र व जांच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रकरण में नमूने की अवधि पार होने के कारण अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्र दिनांक 23.09.2021 से समय सीमा बढ़ाने बाबत लिखा गया तत्पश्चात् आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर द्वारा अवधि बढ़ाये जाने का आदेश दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हुआ जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/5414 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने सबस्टैण्डर्ड मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 2 राजेश टिकर, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 डॉ. रामकेश गुर्जर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 4 सत्तुलाल पुत्र राजाराम निवासी तेजपुर की ढाणी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 5 महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा



एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति।
2. पदस्थापन कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रति।
3. फार्म नम्बर 05 ए असल प्रति।
4. माल खरीद रसीद असल प्रति।
5. मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति।
6. आधार कार्ड एवं लाईसेंस की प्रति।
7. खाद्य विश्लेषक उदयपुर में नमूना मय फार्म नं. 6 की जमा रसीद।
8. फार्म नं. 6 अलग से सील्ड लिफाफे में जमा रसीद फार्म नं. 6 की पुश्त पर।
9. अभिहित अधिकारी को नमूना के II, III, IV भाग मय फार्म नं. 6 जमा की रसीद असल प्रति।
10. अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) का पत्र मय जांच रिपोर्ट की प्रति।
11. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एफबीओ को लिखा पत्र दिनांक 13.12.2019
12. निदेशक को समय सीमा बढ़ाने बाबत् अभिहित अधिकारी का पत्र दिनांक 23.09.2021
13. आयुक्त एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर का आदेश दिनांक 08.11.2021
14. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ का आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2021/5414 दिनांक 09.12.2021

उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 02.03.2022 को अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमित गर्ग ने अधिकार पत्र पेश किया उसके पश्चात् अप्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 व 2 से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 3 एवं 4 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से



जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मावा (Loose) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 4 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 11.08.2019 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 5 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 11.08.2019 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा (Loose) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1058 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 42 से सील चपड़ी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल, सहायक कर्मचारी के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक AM-1058 मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 7 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 13.08.2019 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2019/3983 दिनांक 15.11.2019 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 392/ACT/2019/412 Dated 25-09-2019 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य



विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 392/ACT/2019/412 Dated 25-09-2019 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश टिकर द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 42 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 30.08.2019 से 25.09.2019 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि The sample of Mawa (Khoya) bearing code no. and serial no. AM-1058 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh Is sub-standard as Milk Fat (dry matter basis) of finished product is does not meet as per Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006. उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1058 मावा (Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2019/3983 दिनांक 15.11.2019 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश टिकर द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूने के संबंध में न्यायालय में परिवाद संस्थित करने की 1 वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा बढ़ाने हेतु आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज. जयपुर को जरिये पत्रांक 3828 दिनांक 23.09.2021 से लिखा गया जिस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राज. जयपुर द्वारा अपने पत्रांक/एफएसएसए/स.सी./2021/388 दिनांक 08.11.21 से जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा दिनांक 17.12.2021 तक विस्तारित करने की अनुमति प्रदान करने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 12 से 14 होकर रिकार्ड पर है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर



का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी श्री ताराचन्द पुत्र श्री वासुमल फुलवानी (विक्रेता/मालिक) मैसर्स अजमेर मिष्ठान भण्डार आरएपीपी बस स्टेण्ड के पास, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री ताराचन्द पुत्र श्री वासुमल फुलवानी (विक्रेता/मालिक) मैसर्स अजमेर मिष्ठान भण्डार आरएपीपी बस स्टेण्ड के पास, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को रुपये 20000/- अक्षरे बीस हजार रुपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।



अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़